ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

–पत्र संख्या :–43 / 2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

CMS NO:- 2015/00163

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री रामलक्ष्मण शर्मा आईएलआर (मृतक)
2. श्री जानकीलाल मीणा पटवारी हाल तह0 तालेडा
3. शेलेन्द्र कुमार आ0 राजेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी नैनवां

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री सूर्य कुमारं जैन एवं श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 18.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 6104/4455 रकबा 8–00 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 23.11.75 को आंवटी किशन गोपाल आ0 हीरालाल तम्बोली निवासी नैनवां को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 4455/1 की तरमीम 20.12.02 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम की भूमि खसरा सं. 4456 रकबा 2–00 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब दावा में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार की तथा निवेदन किया कि खसरा संख्या 4455 में 8 बीघा भूमि वाके ग्राम नैनवां आवंटन सलाहकार समिति मु. नैनवां द्वारा दिनांक 23.11.1975 को किशन गोपाल आ0 हीरालाल तम्बोली निवासी नैनवा को नियमानुसार आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार आवंटित भूमि पर दखल दिया गया था। उक्त भूमि पर गैर खातेदारी एवं खातेदारी मिलने के बाद खातेदार किशनगोपाल के नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त आवंटित भूमि के नम्बर वाद में 4455/1 बनाये गए और वर्तमान में इसके नम्बर 6104/4455 है। यह कि 1975 में कोई सडक नही थी। आवंटित एवं कब्जाशुदा भूमि के पास कालान्तर में सडक निकली तो उससे आवंटन शुदा भूमि का कब्जा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। यह कि किशन गोपाल आ0 हीरालाल तम्बोली निवासी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

सके पक्ष में आवंटन हुआ वह अथवा उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार होने के वावजूद पक्षकार ाये गए, इसलिए भी कानूनी तौर पर चलने योग्य नहीं होकर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र, जवाब वाद पत्र एवं बहस में दिये गए तर्कों पर किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसके अनुसार यह पाया गया कि त विवादित भूमि खसरा संख्या 4455/1 रकबा 8 बीघा भूमि वाके कस्बा नैनवां आवंटन सलाहकार मिति मु. नैनवां द्वारा दिनांक 23.11.1975 को किशन गोपाल आ0 हीरालाल तम्बोली निवासी नैनवा को नियमानुसार आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार आवंटित भूमि पर दखल दिया गया था। इसके बाद जर्ये पंजीकृत विकय पत्र से विधिवत खरीद कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज रहकर प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश/नियमन आदेश, तरमीम आदेश, सुपुर्दगीनामापेश आदि पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)